सुश्री दोला सेन: सर, यह communication में question था। ...(**व्यवधान**)...

श्री पी. एल. पुनिया: सर, इस National Electronic Policy के तहत भारी-भरकम निवेश से मेगा प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जाएंगे और विशेष पैकेज भी दिया जाएगा, जिसमें semi-conductor सुविधाएं, display of fabrication आदि शामिल होगा। क्या सरकार मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तर प्रदेश में Special Economic Zone स्थापित करने पर विचार करेगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, इस पर मूल stand राज्य सरकारों का होगा। हम केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करूंगा, यह मैंने पहले भी बताया, सिर्फ नोएडा-ग्रेटर नोएडा में including ancillaries 93 मोबाइल की factories आ गई हैं। मैं स्वयं उद्घाटन करने गया था। इसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं मानता हूँ कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा से लेकर मेरठ तक एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बन सकता है, क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक है। सर, हमें इसके लिए मिलकर प्रयास करना होगा। दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश, तिरुपति में इस पर काफी काम हुआ है। हम सभी की कोशिश होगी कि देश भर में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में और प्रयास हों। इसके लिए हम राज्य सरकारों से पूरा सहयोग भी लेंगे।

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण की रोस्टर प्वाइंट व्यवस्था

*138. **श्री हरनाथ सिंह यादव**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में संसद में विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्तियों में आरक्षण के संबंध में तेरह प्वाइंट रोस्टर के स्थान पर दो सौ प्वाइंट रोस्टर के आधार पर नियुक्तियां किए जाने के बारे में की गई घोषणा की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से विश्वविद्यालयों ने घोषणा के बाद दो सौ प्वाइंट रोस्टर की अनदेखी करते हुए तेरह प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय-वार ऐसे कितने शिक्षकों की किन-किन विषयों के लिए नियुक्तियां की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) "केंद्रीय शैक्षिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक 2019" जोकि दिनांक 01.07.2019 को लोक सभा में और दिनांक 03.07.2019 को राज्य सभा में विचार पश्चात् पारित

कर दिया गया था, की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:—

(i) आरक्षण रोस्टतर प्वााइंट के निर्धारण हेतु संवर्ग या इकाई 'विश्वविद्यालय/कॉलेज' होगा न कि 'विभाग/विषय'।

(ii) विधेयक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यरक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान है।

(iii) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति में पदों को आरक्षण प्रदान करना।

(iv) यह केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं पर लागू है।

(v) प्रस्ताि्वत विधान की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्कृष्ट्ता संस्थाएं, शोध संस्थााएं, राष्ट्रीय और कार्यनीतिक महत्व की संस्थाएं; और संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित अल्पसंख्यक संस्थाएं तथा संसद के अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा घोषित या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के रूप में घोषित संस्थाओं को प्रस्तााावित विधान के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा 13 बिंदु रोस्टर के आधार पर की जा रही किसी भी भर्ती को स्थगित करेन के निर्देश दिनांक 18.07.2018 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

Roster points for reservation in appointments in universities

†*138. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of main points of announcement made in the Parliament regarding reservation in appointments of SC, ST and OBC category teachers in universities on the basis of 200 points roster instead of 13 points roster recently;

(b) the universities in Uttar Pradesh which have made appointments of teachers on the basis of reservation under 13 points roster system ignoring the 200 points roster after the announcement; and

(c) the number of such teachers appointed along with the subjects for which they were appointed, university-wise?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The salient features of "The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019", which was already considered and passed by Lok Sabha on 01st July, 2019 and in Rajya Sabha on 03rd July, 2019 are:—

(i) The cadre or unit for determining reservation roster point shall be 'University/College' and not 'Department/subject'.

(ii) The Bill provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Socially and Educationally Backward Classes and Economically Weaker Sections.

(iii) To provide for reservation of posts in appointment by direct recruitment to teachers' cadre in Central Educational Institutions established, maintained or aided by Central Government.

(iv) It is applicable to Central Educational Institutions.

(v) The institutions of excellence, research institutions, institutions of national and strategic importance specified in the Schedule to the proposed legislation; and minority institutions established and administered by the minorities under clause (1) of Article 30 of the Constitution and so declared by an Act of Parliament or by the Central Government or declared as a Minority Educational Institution under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 are exempted from the purview of the proposed legislation.

(b) and (c) No appointments have been made by the Central Universities in Uttar Pradesh after issue of directives from the Government, dated 18th July, 2018, to postpone any ongoing recruitments being done on the basis of 13 point roster.

श्री हरनाथ सिह यादव: मान्यवर, संसद के विगत सत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती में 200 प्वाइंट रोस्टर के स्थान पर 13 प्वाइंट रोस्टर के आरक्षण के आधार को अनुचित मानकर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने तीन घोषणाएं की थीं। नंबर एक, सरकार पुनर्याचिका दाखिल करेगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: दूसरा, सरकार अनिश्चितता की स्थिति में अध्यादेश लाएगी और तीसरा, तत्काल प्रभाव से कोई नई भर्तियां नहीं होंगी। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि संसद में माननीय मंत्री जी की घोषणा व सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के मध्य काल में केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों द्वारा कुल कितनी भर्तियां की गईं और उनमें से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, माननीय हरनाथ सिंह यादव जी ने जो बात रखी है और मंत्री जी ने जो इस सदन में कहा है, वह पूरा हुआ है। पहली बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका लेकर गए, जब वह खारिज हो गई, तो हम फिर पुनर्याचिका लेकर गए। जब वह पुनर्याचिका भी खारिज हो गई, तब सरकार ने नया कदम उठाया और बहुत जल्दी अध्यादेश का मसौदा तैयार करके, उस अध्यादेश को स्वीकृत किया। जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद सरकार ने कहा था कि हम फिलहाल उस भर्ती प्रक्रिया को रोकेंगे और सरकार के इस निर्देश के बाद किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी भर्ती नहीं हुई है।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भर्ती नहीं हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के दो राज्य विश्वविद्यालयों का उदाहरण देना चाहूँगा, एक चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर और दूसरा आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद, इन दोनों विश्वविद्यालयों में 15 दिनों के अंदर call letters जारी किए गए, साक्षात्कार हुए, नियुक्ति पत्र दे दिए गए और लोगों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया। ...**(व्यवधान)**... सर, मेरा सवाल है। ...**(व्यवधान)**... सर, मेरा सवाल है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपकी घोषणा के पश्चात् और अध्यादेश जारी होने के मध्य जिन विश्वविद्यालयों ने ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग के साथ अन्याय किया है ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप संक्षेप में पूछ लीजिए, बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा।

श्री हरनाथ सिह यादव: क्या सरकार उन्हें रद्द करने की कार्रवाई करेगी?

श्री सभापति: आपने सही सवाल पूछा, मगर सिम्पल पूछना था।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से दोबारा यह निवेदन करूँगा कि स्थगन के संबंध में सरकार की जो घोषणा थी, उसके बारे में यूजीसी को मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2018 को निर्देश दिया था और यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों को नियुक्ति स्थगित रखने के लिए 19 जुलाई, 2018 को निर्देश दिया था। इसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं हुई है।

श्री सभापति: प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा: सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि 7 मार्च को अध्यादेश आने के बाद... हरनाथ जी उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे थे, लेकिन इसी सदन में तीन दिन पहले ज़ीरो ऑवर में पाँच विश्वविद्यालयों का आँकड़ा दिया गया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप एक बार आँकड़ों की पड़ताल कीजिए, क्योंकि अध्यादेश के बाद अगर विश्वविद्यालयों ने राँची में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हैदराबाद में नियुक्तियाँ की हैं, तो यह हमारे अध्यादेश की अवमानना है। आप इसकी पड़ताल करें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, जहाँ तक अभी तक की पड़ताल है, 7 मार्च को अध्यादेश आने के बाद किसी विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं, यदि उनके संज्ञान में ऐसा कुछ है, तो वे मुझे जरूर दें।

श्री सभापति: श्री रामकुमार वर्मा।

श्री रामकुमार वर्मा: आदरणीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधान मंत्री जी की इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ कि हम एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक प्रावधानों का न केवल संरक्षण करेंगे, बल्कि उनके न्याय के लिए उचित कदम भी उठाएँगे। कल जिस तरह से 13-रोस्टर प्वाइंट की जगह 200-रोस्टर प्वाइंट का प्रावधान किया गया, उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि 200-रोस्टर प्वाइंट होने के बावजूद पिछली सरकारों ने बैकलॉग भरने की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनका inadequate representation रहा। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के डिसीज़ंस आने के बाद, 13-रोस्टर प्वाइंट के बाद भी कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि पहले का जो huge backlog है, उसको देखते हुए क्या आप कोई special measure adopt करते हुए special drive शुरू करने का इरादा रखते हैं?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अध्यादेश लागू होने के बाद कहीं भी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी माननीय सदन को अवगत कराया था कि केन्द्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा सीधे वित्त-पोषित या संचालित होने वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ लगभग 74,000 पद रिक्त हैं और जो रिक्त विश्वविद्यालय हैं, उनमें 7,000 पद रिक्त हैं। उन 7,000 रिक्त पदों में भी हमारा यह अभियान है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है।

Setting up of expert committee on NFU

*139. SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has decided to set up a high level expert committee to examine the recommendations of 7th Central Pay Commission on Non-Functional Upgradation (NFU);